

चौधरी रामदान शिक्षण संस्थान (छात्रावास), रामसर, बाड़मेर

सन् 1994 में रामसर तहसील क्षेत्र में कार्यरत जाट कर्मचारियों एवं आस-पास के गाँवों के प्रमुख लोगों ने बैठक कर जाट छात्रावास के निर्माण सम्बन्धी योजना बनाई। उस समय इस क्षेत्र में रामसर कस्बे के अलावा आस-पास कहीं पर माध्यमिक विद्यालय नहीं था। उस समय रा.मा.वि. रामसर के प्रधानाध्यापक अमीचंद चौधरी (बीकानेर वाले) से प्रोत्साहित होकर सोनाराम गोदारा, तगाराम डऊकिया (ठेकेदार), गंगा राम, किसना राम सेवर (सेतराऊ), प्रहलाद राम, राणाराम गोरसिया, भूराराम जाखड़, मोटा राम पूनिया, मालाराम पोटलिया (भाचभर), दीपाराम जाखड़ (भाचभर), चूनाराम बेनिवाल (धारासर) आदि जाट बन्धुओं ने प्रथम बैठक कर छात्रावास निर्माण हेतु सरकारी भूमि चिन्हित कर आवंटन की प्रक्रिया शुरू की। सन् 1995 में सोनाराम गोदारा (चाडी) एवं तगाराम डऊकिया ने प्रस्तावित भूमि के कागजात लेकर ग्राम पंचायत से आवंटन अनापत्ति पत्र प्राप्त किया। लम्बी प्रक्रिया के बाद 15 सितम्बर 1999 को समस्त प्रक्रिया पूरी कर सोनाराम गोदारा ने चौधरी रामदान शिक्षण संस्थान, रामसर के नाम से संस्थान का पंजीयन करवाया। संस्थान की प्रथम पंजीकृत कार्यकारिणी में लिखमाराम डऊकिया-अध्यक्ष, प्रहलाद राम हुडा-उपाध्यक्ष, सोनाराम गोदारा-सचिव, तगाराम डऊकिया-कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों को सम्मिलित किया गया।

लम्बी प्रक्रिया के चलते भूमि आवंटन में कई अड़चनें आईं। सन् 2002 में गेनसिंह पोटलिया (उपसरपंच भाचभर) व सोनाराम गोदारा ने आवंटन पत्रावली जिला कलक्टर बाड़मेर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजने के प्रयास जारी रखे। इस सम्बन्ध में हेमाराम चौधरी (तत्कालीन परिवार कल्याण एवं सैनिक बोर्ड राज्यमंत्री) एवं गंगाराम चौधरी (पूर्व जिला प्रमुख, बाड़मेर) के सहयोग से भूमि आवंटन प्रकरण सन् 2004 में राज्य सरकार को भेजा गया। अन्तिम रूप से छात्रावास हेतु भूमि आवंटन का कार्य तत्कालीन राजस्व मंत्री रामनारायण डूडी द्वारा किया गया। आदेश जारी होने के पश्चात् न्यूनतम शुल्क राशि 8250 रु., 23 मार्च 2005 को जमा करवाने पर आवंटन प्रक्रिया पूर्ण हुई। इसके बाद भी स्थानीय राजस्व कर्मचारियों ने भूमि नामान्तरण में नई अड़चने पैदा करने की कोशिश की। तब तत्कालीन सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने सहयोग किया। जिससे जिला कलक्टर व एडीएम मदनलाल नेहरा ने तत्काल नामान्तरण कार्यवाही पूर्ण कर भूमि छात्रावास हेतु समर्पित करवाई। 20 अप्रैल 2005 को स्थानीय जाट बन्धुओं ने छात्रावास भवन की नींव रख कर तत्काल चारदीवारी बनवाई। 2 मई 2007 को छात्रावास का शिलान्यास तत्कालीन राजस्व मंत्री रामनारायण डूडी द्वारा किया गया। छात्रावास निर्माण कार्य हेतु किसनाराम सेवर, सादुलाराम सियोल (मगाणी हाल आलमसर), तथा रामाणी डऊकिया परिवार, सरली ने एकमुश्त बड़ी राशि प्रदान की। छात्रावास निर्माण में तत्कालीन पर्यटन मंत्री ऊषा पूनिया ने 2 लाख, शिव विधायक डॉ. जालम सिंह रावलोत ने 4.9 लाख, हरीश चौधरी तत्कालीन सांसद ने पाँच लाख तथा डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राज्य सभा सांसद) ने 2.50 लाख रुपये अपने कोष से स्वीकृत कर सहयोग किया। जन प्रतिनिधियों एवं जनसहयोग से नव निर्मित छात्रावास भवन का उद्घाटन 4 फरवरी 2011 को गंगाराम चौधरी (पूर्व राजस्वमंत्री), हेमाराम चौधरी (तत्कालीन राजस्व मंत्री) अमीन खां (विधायक शिव), हरीश चौधरी (सांसद बाड़मेर-जैसलमेर), कर्नल सोनाराम चौधरी (विधायक बायतु) तथा श्रीमती मदनकौर (जिला प्रमुख, बाड़मेर) की गौरवमयी उपस्थिति में हुआ। छात्रावास में 12 आवासीय कमरे, 3 हॉल, 1 ऑफिस कक्ष तथा सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

इस संस्थान के प्रथम अध्यक्ष लिखमाराम डऊकिया का कार्यकाल सन् 1999 से 2009 तक रहा। प्रहलाद राम सन् 2009 से 2013 तक एवं वर्तमान अध्यक्ष सोनाराम लेगा 2013 से निरन्तर कार्यरत हैं। वर्तमान में सोनाराम गोदारा सचिव एवं गेनसिंह पोटलिया कोषाध्यक्ष हैं।

- (1) छात्रावास का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन, उद्देश्य, संचालक संस्था का ई-मेल एड्रेस, मो.न. सहित विवरण, छात्रावास के 2-3 फोटो (सामने का फोटो जिसमें सम्पूर्ण छात्रावास दिखाई देता हो)।
- (2) **इतिहास**— स्थापना से लेकर अब तक, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों का योगदान सहित वर्णन, भूमि आवंटन, खरीद या दान करने वालों का योगदान, भवन निर्माण में दानदाताओं का विवरण शामिल करना है।
- (3) **कार्यकारिणी**—पूर्व के संरक्षक एवं अध्यक्षों का नाम एवं कार्यकाल विवरण तथा वर्तमान पूरी कार्यकारिणी का विवरण।
- (4) **भौतिक संसाधन (सुविधाएँ)** —चारदीवारी, कमरें, हॉल, पुस्तकालय, पुस्तकें, कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर कक्ष, भोजनशाला, दुकानें, खेल मैदान सहित अन्य भौतिक सुविधाओं का विवरण, दानदाताओं की सूची।
- (5) **विद्यार्थी विवरण** (a) वर्तमान विद्यार्थियों का विवरण (**प्रारूप संलग्न है**)
(b) वार्डन
(c) पूर्व विद्यार्थी (एलुमिनी) का विवरण
- (6) **प्रवेश प्रक्रिया (पात्रता, सीट) एवं नियमावली का विवरण**
- (7) **शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियाँ** —अध्ययन, कोचिंग, ऑनलाइन स्टडी, टेस्ट, स्मार्ट कक्षाएँ, खेलकूद, विशेष मार्गदर्शन शिविर, सेमिनार, विशेष समारोह, जयन्तियाँ आदि का विवरण।
- (8) **वित्तीय प्रबंधन एवं आय स्रोत—**
- (9) **भोजन एवं आवास व्यवस्था—**
- (10) (a) संस्थान के नजदीकी शिक्षण संस्था (मय दूरी) केन्द्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, अग्रेजी माध्यम विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय एवं निजी संस्थान)–
(b) समाज के ट्रस्ट या संस्थान या व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित निजी विद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान या कोचिंग संस्थान का विवरण।

ऊपर वर्णित इतिहास डॉ. श्री गंगाराम जाखड़ द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया है, इसमें कोई तथ्य जोड़ना या परिवर्तन करना हो तो लिखित में भेजे एवं इसके अलावा अन्य 9 बिन्दुओं से संबंधित सूचनाओं का पूर्ण विवरण टाईप करवाकर या हस्त लिखित रूप में bidiyasar6062@gmail.com पर भिजवाये।